Illinois Department on Aging, One Natural Resources Way, #100, Springfield, Illinois 62702-1271
वरिष्ठजन हेल्पलाइन: 1-800-252-8966, 711 (TRS) • ilaging.illinois.gov

इस वेबसाइट ilaging.illinois.gov पर "समाचार और प्रकाशन" खंड में जाकर इस विवरणिका को डाउनलोड करें।

इलिनॉय जरण विभाग, कार्यक्रमों में प्रवेश या कार्यक्रमों या गतिविधियों में रोजगार के उपचार के मामले में, किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी जाति, रंग, धर्म, लिंग, राष्ट्रीय मूल, वंश, आयु, सुरक्षा स्थिति, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, सैन्य स्थिति, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, गर्भावस्था, या सैन्य सेवा से प्रतिकूल सेवामुक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपसे भेदभाव किया गया है, तो आपको इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। जानकारी के लिए, वरिष्ठजन हेल्पलाइन को कॉल करें: 1-800-252-8966; 711 (TTRS).

IOCI22-0135(Hindi) . 3/25 . 1M . इलिनॉय राज्य के प्राधिकरण द्वारा मुद्रित

इलिनॉय राज्य
इलिनॉय जरण विभाग

दीर्घकालिक देखभाल
सुविधाओं में लोगों के निवासी अधिकार

इलिनॉय के किसी दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र में रहने वाले के रूप में, आपको अधिकारों, सुरक्षा और राज्य और संघीय कानून के अनुसार कुछ विशेषाधिकारों की गारंटी दी जाती है।.

इलनॉिय दीर्घकालकि देखभाल
लोकपाल कार्यक्रम

Illinois Department on Aging

आपको अधिकार है...

◆ सुरक्षा और अच्छी देखभाल का

- आपके सुविधा केंद्र को आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, और संतुष्टि की भावना को बनाए रखने के लिए सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- किसी के भी द्वारा आपका - शारीरिक, मौखिक, मानसिक, आर्थिक या यौन रूप से दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

◆ अपनी खुद की देखभाल में भाग लें

- आपके सुविधा केंद्र को एक लिखित देखभाल योजना विकसित करनी चाहिए जिसमें उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं का उल्लेख हो।
- आपकी सुविधा को आपकी आवश्यकताओं और विकल्पों को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था करनी **चाहिए।**
- आपको अपना डॉक्टर चुनने का अधिकार है।
- आपको अपनी समझ में आने वाली भाषा में अपनी चिकित्सा समस्या और उपचार से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आपको अपने अनुरोध के **24 घंटे** के भीतर अपना मेडिकल रिकॉर्ड देखने का भी अधिकार है।
- आपको हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल), लिविंग विल (जीवित इच्छापत्र), डिक्लेरेशन फॉर मेंटल हेल्थ (मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकटीकरण) या डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर (पुनर्जीवित न करें आदेश) से संबंधित एक टिकाऊ पावर ऑफ अटॉर्नी का निर्माण करने का अधिकार है।

◆ गोपनीयता

- आपकी चिकित्सा और व्यक्तिगत देखभाल निजी हैं।
- आपके कमरे में प्रवेश करने से पहले सुविधा केंद्र के कर्मचारियों को दरवाजे पर दस्तक देनी **चाहिए।**
- आपका सुविधा केंद्र आपकी अनुमति के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को आपकी या आपकी देखभाल से संबंधित जानकारी **नहीं दे सकता है।**

- आपको निजी मुलाकातियों से मिलने का अधिकार है, जब तक कि आपके चिकित्सक ने चिकित्सकीय कारणों से सीमित मुलाकातों का आदेश न दिया हो।
- आपको निजी तौर पर फोन कॉल करने और प्राप्त करने का अधिकार है।
- यदि आप विवाहित हैं, तो आपको और आपके पति/पत्नी को एक कमरा, यदि उपलब्ध हो, साझा करने का अधिकार है।

◆ धन का प्रबंधन

- आपको अपने धन को प्रबंधित करने का अधिकार है।
- आपका सुविधा केंद्र आपकी अनुमति के बिना आपका धन प्रबंधक या आपका सामाजिक सुरक्षा प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता **नहीं बन सकता है।**
- आप किसी भी समय अपना वित्तीय रिकॉर्ड देख सकते हैं। सुविधा केंद्र को चाहिए कि आपको हर **3 महीने** में कम से कम एक बार एक मदवार विवरण दे।

◆ अनुबंध की जानकारी

- आपको एक अनुबंध दिया जाना **चाहिए** जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उनकी लागत कितनी है।
- आपके सुविधा केंद्र को किसी अन्य व्यक्ति को यह कहते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने की आवश्यकता **नहीं होनी चाहिए** कि वे आपके बिल का भुगतान करेंगे जब तक कि वे आपके न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक न हों।

◆ Medicaid और Medicare सम्बन्धी जानकारी

- आपकी देखभाल के लिए भुगतान करने में सहायता के लिए आपको Medicaid या Medicare के लिए आवेदन करने का अधिकार है।
- आपके सुविधा केंद्र को Medicaid, Medicare और Spousal Impoverishment के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए।
- यदि आपको Medicaid प्राप्त होता है तो सुविधा केंद्र आपको Medicaid द्वारा भुगतान की जाने वाली चीज के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कह सकता है।

◆ अपने सुविधा केंद्र में रहना

- आपको अपने सुविधा केंद्र में रहते रहने का अधिकार है।
- सुविधा केंद्र आपको वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर **सकता** है क्योंकि:
  ... आपने अपने बिल का भुगतान नहीं किया है,
  ... आप अपने आफ के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक हैं,
  ... आपकी चिकित्सीय जरूरतें पूरी नहीं की जा सकतीं, या
  ... सुविधा केंद्र बंद होने वाला है।
- यदि आपका सुविधा केंद्र आपको वहाँ से जाने का अनुरोध करता है तो आपको एक लिखित नोटिस दी जानी **चाहिए**। इस नोटिस में निम्नलिखित बातें शामिल होनी **चाहिएं**:
  ... आपको स्थानांतरित होने के लिए क्यों कहा जा रहा है,
  ... एक अपील कैसे की जाती है, और
  ... इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) को मेल करने के लिए एक स्व-पता युक्त लिफाफा।
- आपको **10 दिन** के भीतर अपने डिस्चार्ज के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। अपने अनैच्छिक डिस्चार्ज नोटिस से संबंधित सहायता के लिए इलिनॉय जरण विभाग (Illinois Department on Aging) से संपर्क करें। **1-800-252-8966, 1-888-206-1327 (TTY)** पर कॉल करें।
- अधिकांश मामलों में, यदि आपको Medicaid प्राप्त होता है तो आपको अस्पताल छोड़ते समय अपने सुविधा केंद्र में वापस लौटने की अनुमति दी जानी **चाहिए**, यदि सुविधा केंद्र ने आपको एक डिस्चार्ज नोटिस दे दिया हो तब भी। यदि आप **10 दिन** से ज़्यादा समय से अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपके सुविधा केंद्र को यदि/जब बिस्तर उपलब्ध हो, तो आपको वापस आने देना **चाहिए**। यदि आप निजी भुगतान वाले हैं, तो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अपने बिस्तर को होल्ड करके रखने के लिए आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के सम्बन्ध में सुविधा केंद्र को **आपको लिखित रूप में सलाह देने की आवश्यकता होती है**।

- यदि आपका कमरा या रूममेट बदला जा रहा हो, तो आपको अधिकार है कि इसके बारे में पहले से यह बताया जाए।

याद रखें, आप एक दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र में रहने के कारण इलिनॉय और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों को नहीं खोते हैं।

- आपके पास मतदान करने का अधिकार है।
- आपको उन सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है जो अन्य निवासियों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं।
- आपको निवासी परिषद में अन्य निवासियों के साथ भाग लेने का अधिकार है।
- आपको दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल, सामुदायिक संगठनों, सामाजिक सेवा समूहों, कानूनी वकीलों और आपके सुविधा केंद्र आने वाले आम जनता के सदस्यों से मिलने का अधिकार है।
- आपको शिकायत करने और सुविधा केंद्र से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अधिकार है।
- आपका सुविधा केंद्र आपको अपने अधिकारों का दावा करने या शिकायत करने के बदले में किसी भी तरह से धमकी या दंड **नहीं दे सकता है**।

यदि इस पुस्तिका में उल्लिखित अधिकार, आपके सुविधा केंद्र के भीतर लागू नहीं होते हैं, तो निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है:

1 **समस्या को परिभाषित करें।** इसे लिखने से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि वास्तव में क्या हुआ है और यह गलत क्यों है। यह कब हुआ? (यदि संभव हो तो समय और तारीखों का भी उल्लेख करें।) घटना में कौन शामिल था या उसे किसने देखा? अन्य लोगों से प्रश्न पूछें जो इसमें शामिल हो सकते हैं या हो सकता है कि समस्या के बारे में जानते हों।

2 **कर्मचारियों से बात करें।** उचित लगे तो समस्या के बारे में आपकी देखभाल करने वाले जिम्मेदार कर्मचारियों से बात करें। समस्याओं या चिंताओं को हल करने से संबंधित सुविधा केंद्र की प्रक्रियाओं का पता लगाएं। यदि यह एक अच्छा विचार नहीं लगता है, या यदि आप ऐसा करने के बाद संतुष्ट नहीं हैं, तो सुविधा केंद्र व्यवस्थापक, व्यवस्थापक के नामिती, अपने चिकित्सक, नर्सिंग निदेशक, सामाजिक कार्यकर्ता या फ्लोर नर्स से बात करने के बारे में विचार करें।

3 **निवासी परिषद में भाग लें।** निवासी परिषद एक निवासी की ओर से चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं।

4 **मदद मांगें।** यदि आपको या निवासी परिषद को किसी समस्या का समाधान करने में मदद की जरूरत है, तो आप मदद के लिए इलिनॉय दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम उन वृद्ध वयस्कों को गोपनीय रूप से मदद करता है जो अपने दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र में प्राप्त होने वाली देखभाल के संबंध में प्रश्न, चिंताएं या शिकायतें करना चाहते हैं। कॉल करें:

इलिनॉय जरण विभाग
1-800-252-8966
711(TRS)

यदि वह समस्या, किसी विकासात्मक अक्षमता या मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति से संबंधित है, तो आप इक्विप फॉर इक्वलिटी से मदद मांग सकते हैं, जो राज्यपाल द्वारा नामित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो उम्र की परवाह किए बिना सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं की दृष्टि से विकलांग लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी वकालत करता है। कॉल करें:

इक्विप फॉर इक्वलिटी
1-800-537-2632
1-800-610-2779 (TTY)

5 केंद्रीय शिकायत रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज करें। इलिनॉय में इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एक औपचारिक केंद्रीय शिकायत रजिस्ट्री की व्यवस्था है। यदि आपको लगता है कि आपका सुविधा केंद्र आपके अधिकारों या आपके साथी निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग आपकी शिकायत की जांच करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि उल्लंघन हुआ है तो दीर्घकालिक देखभाल सुविधा केंद्र को अदालत में तलब किया जाएगा; और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। कॉल करें:

केंद्रीय शिकायत रजिस्ट्री
1-800-252-4343
1-800-547-0466 (TTY)

निम्नलिखित विवरणिकाओं की प्रतियां प्राप्त करने के लिए:

- **सहायक रहन-सहन सुविधा केन्द्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए निवासियों के अधिकार**
- **विकासात्मक रूप से विकलांग लोगों के लिए मध्यवर्ती देखभाल सुविधा केन्द्रों में लोगों के लिए निवासियों के अधिकार**

1-800-252-8966, 711 (TRS) पर कॉल करें, या
वेब **ilaging.illinois.gov** पर जाएं और निम्न लिंक पर जाएं "समाचार और प्रकाशन।"